

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 जून 2020 — ज्येष्ठ 16, शक 1942

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-04/आठ-परि./2020.— कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते हुए संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30-06-2020 तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है।

1. अतएव, राज्य सरकार का मत है कि, समस्त यात्री वाहनों एवं मालवाहनों के मोटरयान कर के भुगतान में आंशिक छूट प्रदान करना जनहित में वांछनीय है, अतः छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क. 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, समस्त यात्री वाहनों, मालवाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों एवं प्राईवेट सेवायान बसों को उक्त अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से निम्नानुसार छूट प्रदान करती है:-

(क) अंतर्राज्यीय/अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों के लिए माह अप्रैल एवं मई 2020 की अवधि के लिए मासिक कर के भुगतान से पूर्णतः छूट।

(ख) समस्त मालवाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों एवं प्रायवेट सेवायान बसों के लिए एक तिमाही (अप्रैल-मई-जून 2020) हेतु देय त्रैमासिक कर की कुल राशि में से 1/3 भाग के भुगतान में पूर्णतः छूट।

2. अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क. 25 सन् 1991) की धारा 24 सहपठित धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) में यात्री वाहन एवं मालवाहनों के माह मई एवं जून 2020 के लिए देय कर भुगतान हेतु छूट अवधि को, 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए अस्थाई रूप से वृद्धिकृत करती है।

यह अधिसूचना 30 जून, 2020 तक प्रवृत्त रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 4th June 2020

NOTIFICATION

No. F 5-04/VIII/Trans./2020.— Whereas, Keeping in view the increasing infection of Corona Virus (Covid 19), the lockdown has been announced by the Government of India till 30-06-2020.

1. And therefore, the State Government is of the view that it is desirable in the public interest to provide partial exemption in payment of motor vehicle tax of all passenger Vehicles and goods vehicles, thus in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts, from payment of Motor Vehicle Tax leviable under Section 3 of the said Act to all passenger vehicles, goods vehicles, school buses, city buses and private service, as follows:-
 - (a) complete exemption from payment of monthly tax for the period of the month April and May 2020 for Inter-State/All india Tourists Permit and all stage carriage vehicles.
 - (b) complete exemption in Payment of 1/3rd of the Total amount of quarterly tax payable for a Quarter (April-May-June 2020) for all goods carriage vehicles, school buses, city buses and private service buses.
2. And therefore, in exercise of the powers conferred by Section 24 read with Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, temporarily extends for the period of 30th June, 2020 to exemption period for the payment of tax payable for the month of May and June, 2020 of the passenger vehicles and goods vehicles in clause (a), (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 7 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Rules, 1991.

This Notification shall come into force with effect up to the date of 30th June, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.